फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– रम्भाबाई **विपक्षी :– जगदीश**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 7 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 08/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 13.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल प्रकरण सं. 130/17 अनवान रम्भाबाई बनाम जगदीश दिनांक 04.09.2017 को दर्ज होकर प्रथम पेशी दिनांक 06.10.17 नियत की गई। चूंकि प्रार्थी द्वारा ही मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 04.09.17 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रथम पेशी पर ही वादी व उसके अधिवक्ता दोनो अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.10.17 को वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज करने से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 का अदम हाजरी में खारिज किया गया। उसके पश्चात् वादी द्वारा दिनांक 06.11.17 को बाज दायरी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जो जांच के दौरान दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी द्वारा बाद पूर्ति कर देने से दिनांक 09.02.18 को दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रथम पेशी पर ही जानबुझकर अनुपस्थित रहा हैं जो कि प्रार्थी की लापरवाही का द्योतक हैं। प्रकरण सं. 09/18 स्वीकार कर मूल वाद को नम्बर पर लेने का आज दिनांक को आदेश पारित हो चुका हैं। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को भी भारी कोस्ट पर नम्बर पर लिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में प्रकरण स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र सं. 130/17 अनवान रम्भाबाई बनाम जगदीश में आदेश दिनांक 06.10.17 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रार्थीयां द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.27 16:49:38 IST
Reason: SelfAttested